



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 45-2024] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 5, 2024 (KARTIKA 14, 1946 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए.आर., दिनांक 15 फरवरी, 2016 की अनुसूची की क्रम संख्या 210 से 233 तथा 233क से 233ग तथा उसके सामने प्रविष्टियों के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन आबकारी तथा काराधान विभाग, हरियाणा की निम्नलिखित सेवाएं, समय सीमा, जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-1 (भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए थोक अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
2	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-13 (देशी मदिरा के लिए थोक अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
3	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-1बी अनुज्ञप्ति (हरियाणा के आसवकों के लिए थोक अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
4	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-1बी-1 अनुज्ञप्ति (हरियाणा की मद्यनिर्माणशाला / वाईनरी के लिए थोक अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
5	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-1बी-1ए (पीने के लिए तैयार पेय की थोक बिक्री)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
6	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-1एबी (हरियाणा के गैर आसवकों के लिए थोक अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
7	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-10बी अनुज्ञप्ति (शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में आयातित विदेशी मदिरा की खुदरा अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
8	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-9 अनुज्ञप्ति (खुदरा बिक्री के लिए कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
9	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-12ए अनुज्ञप्ति (विवाह / समारोह के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति)	14 दिन	उप आबकारी तथा काराधान आयुक्त, आबकारी	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त
10	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-11 अनुज्ञप्ति (भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए बॉटलिंग अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
11	आबकारी तथा काराधान विभाग	एस-1 अनुज्ञप्ति (वाईनरी के लिए अनुज्ञप्ति)	30 दिन	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	..	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
12	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-4/5 अनुज्ञप्ति (रिस्तरां के लिए मधुशाला की अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
13	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-12 जी अनुज्ञप्ति (गोल्फ क्लब के लिए मधुशाला की अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
14	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-12 सी अनुज्ञप्ति (क्लब के लिए मधुशाला की अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
15	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-10 सी अनुज्ञप्ति (लघु मद्यनिर्माणशाला की अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
16	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-10ई अनुज्ञप्ति (शराबखाने के लिए अनुज्ञप्ति)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
17	आबकारी तथा काराधान विभाग	डी-2 अनुज्ञप्ति (आसवक अनुज्ञप्ति)	30 दिन	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	..	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
18	आबकारी तथा काराधान विभाग	बी-1 अनुज्ञप्ति (मद्यनिर्माणशाला अनुज्ञप्ति)	30 दिन	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	..	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
19	आबकारी तथा काराधान विभाग	एल-1 ए बी 1 अनुज्ञप्ति (बोयर/शराब की बिक्री के लिए गैर मद्यनिर्माता)	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
20	आबकारी तथा काराधान विभाग	बी.डब्ल्यू.एच. 2 अनुज्ञप्ति (बान्डड भांडागार)	30 दिन	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	..	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
21	आबकारी तथा काराधान विभाग	मदिरा के ब्रांड का पंजीकरण और ब्रांड लेबल का अनुमोदन	30 दिन	कलक्टर (आबकारी)	आबकारी तथा काराधान आयुक्त, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा काराधान विभाग
22	आबकारी तथा काराधान विभाग	मदिरा का परमिट प्रदान करना	03 दिन	सहायक आबकारी तथा काराधान अधिकारी	उप आबकारी तथा काराधान आयुक्त, (आबकारी)	कलक्टर (आबकारी)
23	आबकारी तथा काराधान विभाग	मदिरा के पास प्रदान करना	03 दिन	आबकारी निरीक्षक	उप आबकारी तथा काराधान आयुक्त, (आबकारी)	कलक्टर (आबकारी)

टी.वी.एस.एन. प्रसाद,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 29th October, 2024

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014) and in supersession of serial numbers 210 to 233 and 233A to 233C and entries thereagainst in the Schedule to the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby notifies the following services, the time limit within which these are to be provided to citizens, the Designated Officers, First Grievances Redressal Authority and Second Grievances Redressal Authority of Excise and Taxation Department under the said Act as specified in the Schedule given below, namely :-

Schedule

Serial No.	Name of the Department	Name of Service	RTS time-lines	Designated Officer	First Grievance Redressal Authority	Second Grievance Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Excise and Taxation Department	L-1 (Wholesale license for Indian Made Foreign Liquor)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
2	Excise and Taxation Department	L-13 (Wholesale license for Country Liquor)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
3	Excise and Taxation Department	L-1B License (Wholesale license for Distillers of Haryana)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
4	Excise and Taxation Department	L-1B-1 License (Wholesale license for Brewery / Winery of Haryana)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
5	Excise and Taxation Department	L1-B1-A (Whole sale for Ready to Drink Beverages)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
6	Excise and Taxation Department	L-1AB (Wholesale license for Non Distillers of Haryana)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
7	Excise and Taxation Department	L-10B License (Retail license of Imported Foreign Liquor in shopping complex)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
8	Excise and Taxation Department	L-9 License (Canteen Store Department for retail sale)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
9	Excise and Taxation Department	L-12A License (Temporary license for marriage/events)	14 days	DETC (Excise)	Collector (Excise)	Excise and Taxation Commissioner
10	Excise and Taxation Department	L-11 License (bottling license for Indian Made Foreign Liquor)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
11	Excise and Taxation Department	S-1 License (License for winery)	30 days	Excise and Taxation Commissioner	--	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
12	Excise and Taxation Department	L-4/5 License (Bar License for restaurant)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation

Serial No.	Name of the Department	Name of Service	RTS time-lines	Designated Officer	First Grievance Redressal Authority	Second Grievance Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
13	Excise and Taxation Department	L-12G License (Bar license for Golf club)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
14	Excise and Taxation Department	L-12C License (Bar license for club)	30 days	Collector, Excise	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
15	Excise and Taxation Department	L-10C License (License for Microbrewery)	30 days	Collector (Excise)	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
16	Excise and Taxation Department	L-10E License (Pub License)	30 days	Collector (Excise)	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
17	Excise and Taxation Department	D-2 License (Distillery License)	30 days	Excise and Taxation Commissioner	--	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
18	Excise and Taxation Department	B-1 License (Brewery License)	30 days	Excise and Taxation Commissioner	--	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
19	Excise and Taxation Department	L-1AB1 License (Non brewer for sale of Beer/ Wine)	30 days	Collector (Excise)	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
20	Excise and Taxation Department	BWH-2 License (Bonded Warehouse)	30 days	Excise and Taxation Commissioner	--	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
21	Excise and Taxation Department	Registration of brand and approval of brand labels of liquor	30 days	Collector (Excise)	Excise and Taxation Commissioner	Administrative Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation
22	Excise and Taxation Department	Grant of permits of liquor	03 days	Assistant Excise and Taxation Officer	Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise)	Collector (Excise)
23	Excise and Taxation Department	Grant of passes of liquor	03 days	Excise Inspector	Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise)	Collector (Excise)

T.V.S.N. PRASAD,
Chief Secretary to Government, Haryana.